भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1828

उत्तर देने की तारीख : 29.07.2026

उम्मीद पोर्टल

1828. श्री बैन्नी बेहनन:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 'उम्मीद' पोर्टल के शुभारंभ के बाद से इस पर अपलोड की गई वक्फ संपत्तियां जिसमें सत्यापित, सत्यापन हेतु लंबित तथा अस्वीकृत संपत्तियों की संख्या शामिल है, की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) आज की तारीख तक उम्मीद पोर्टल पर रद्द/अकृत घोषित किए गए वक्फ संपत्ति पंजीकरणों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के विलंब से पंजीकरण के लिए शास्ति वसूल की जा रही है और यदि हां, तो आज की तारीख तक माह-वार तथा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार वसूल की गई कुल राशि कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि वक्फ संपत्तियों की भूमि के गैर-मानक होने के कारण पोर्टल से वक्फ संपत्तियों की अस्वीकृति, रद्दीकरण या निष्कासन न हो?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ख): दिनांक 27.07.2026 की स्थिति के अनुसार, UMEED केंद्रीय पोर्टल–2025 पर कुल 7,98,792 वक्फ संपत्तियों को अपलोड करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। इनमें से 6,17,376 वक्फ संपत्तियों का अनुमोदक द्वारा सत्यापन कर उन्हें अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है। 91,081 वक्फ संपत्तियाँ अपलोडिंग के विभिन्न चरणों में लंबित हैं, जबकि 90,335 वक्फ संपत्तियाँ सत्यापन के दौरान अस्वीकृत कर दी गई हैं।

(ग): UMEED अधिनियम, 1995 की धारा 3-ख(1) के अनुसार, वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के लागू होने से पूर्व इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत प्रत्येक वक्फ के लिए यह आवश्यक है कि वह वक्फ तथा वक्फ को समर्पित संपत्तियों का विवरण छह माह की अवधि के भीतर पोर्टल पर अपलोड करे। यदि मुतवल्ली द्वारा पर्याप्त कारण दर्शाया जाता है, तो वक्फ अधिकरण द्वारा इस अवधि को अधिकतम छह माह तक और बढ़ाया जा सकता है।

अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध वैधानिक व्यवस्था के अनुसार, प्रारंभिक छह माह की अवधि समाप्त होने के पश्चात संबंधित माननीय वक्फ अधिकरणों/उच्च न्यायालयों द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वक्फ बोर्डों को अतिरिक्त समय प्रदान किया गया है। मंत्रालय ने मौजूदा वक्फों का विवरण अपलोड करने के प्रयोजनार्थ उन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वक्फ बोर्डों के लिए UMEED केंद्रीय पोर्टल–2025 को पुनः खोलकर सुविधा प्रदान की है, जिन्हें संबंधित माननीय वक्फ अधिकरणों/उच्च न्यायालयों द्वारा ऐसा समय-विस्तार प्रदान किया गया है। पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के आंकड़ों को अपलोड करने, उनका सत्यापन तथा प्रमाणीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

(घ): UMEED केंद्रीय पोर्टल–2025 निर्माता–जांचकर्ता–अनुमोदक की त्रि-स्तरीय प्रणाली पर कार्य करता है। एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता एवं विकास अधिनियम, 2025 के नियम 6 के अनुसार, प्रत्येक स्तर पर वक्फ संबंधी सूचना तथा विवरणों की सत्यता को प्रमाणित करते हुए निर्माता (मुतवल्ली अथवा वक्फ को प्रबंधित करने वाला व्यक्ति) द्वारा दर्ज किए गए विवरण की जांच, जांचकर्ता (वक्फ बोर्ड द्वारा नामित व्यक्ति) द्वारा की जाती है तथा इसके पश्चात अनुमोदक (संबंधित वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी) द्वारा उसका अनुमोदन किया जाता है। अत: पोर्टल पर वास्तविक वक्फ संपत्तियों का विवरण अपलोड करने के लिए पर्याप्त प्रावधान मौजूद है।
